संख्या-2/2018/2630/94-1-2017-312(11)/2018

प्रेषक,

भैरव नाथ शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 27 फरवरी, 2018**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017-18 में 03- मुख्यालय के मानक मद संख्या-09- विद्युत देय के भुगतान हेतु 03- मुख्यालय के मानक मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन के अवशेष से पुनर्विनियोग कर व्यय की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2227/नौ-104(मुख्यालय)/2017 दिनांक 22-12-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में उपलब्ध धनराशि रूपये 112.53 लाख में से लेखाशीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या-09 विद्युत देय में धनराशि रूपये 15.00 लाख का संलग्न प्रपत्र-बी-एम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग करायी जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपर्युक्त पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था कराये जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है। भुगतान के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार परीक्षण करते हुए सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(4) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि किसी भी परिस्थिति में पी0एल0ए0/ बैंक/ डाक घर तथा डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तभी किया जायेगा, जब भुगतान की वास्तविक आवश्यकता उत्पन्न हो।

(6) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाय।

(9) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने से संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(10) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2016/ बी-1-746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 व उक्त में निहित प्रक्रिया का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है।

2- उपरोक्त धनराशि रूपये 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या -91 लेखाशीर्षक 2030 स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण 001-निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय के मानक मद संख्या-52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग करके मानक मद संख्या-09 विद्युत देय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-2/2018/2630(1)/94-1-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

अनुदान संख्या-91

स्टाम्प एवं पंजीकरण

वित्तीय वर्ष 2017-18

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2030- स्टाम्प पंजीकरण					
03- पंजीकरण					
001- निदेशन तथा प्रशासन					
03 मुख्यालय					
0					
52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	112.53	112.53	15.00	15.00	97.53
योग-	112.53	112.53	15.00	15.00	97.53

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2030- स्टाम्प पंजीकरण					
03- पंजीकरण					
001- निदेशन तथा प्रशासन					
03 मुख्यालय					
0					
09 विद्युत देय	15.50	30.50	15.00	15.00	30.50
योग-	15.50	30.50	15.00	15.00	30.50

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

मानक मद संख्या-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष के अन्तर्गत वर्तमान समय में जनपदीय कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हुयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं:-

मानक मद संख्या-09 विद्युत देय में जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के अनुसार लम्बित विद्युत देयों के भुगतान किए जाने हेतु।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता।

संख्या-आर0ई0-331 दिनांक 26-02-2018

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-2630(2)(1)/94-1-2018 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-32ए/नौ-104(मुख्यालय)/2017 दिनांक 03-01-2018 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी तथा पुनर्विनियोग करायी गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त भुगतान के सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार परीक्षण कराकर सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
6- गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in